उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर

आदेश

क्रमांक बी/2472 / (तीन–18–1/2018) जबलपुर, दिनॉंक **03** मई, 2018

(क) श्री दीपक माहौर, लेखापाल, कार्यालय प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, भिण्ड को वेतनमान रूपये **5200–20200+ग्रेड पे रूपये 2800 (छठवां वेतनमान अनुसार)** पर अस्थाई रूप से एवं माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर में लंबित रिट याचिका क्रमांक 3259/2017 के परिणाम के अध्यधीन, दिनांक 25.05.2017 से प्रावधिक रूप से, न्यायालय उपाधीक्षक के पद पर पदोन्नत करते हुए, उन्हें न्यायिक जिला स्थापना डिण्डौरी पर श्री प्यारे सिंह गौतम, न्यायालय उपाधीक्षक के स्थानांतरण के फलस्वरूप रिक्त होने वाले पद पर पदस्थ किया जाता है। **साथ ही यह शर्त अधिरोपित की जाती है कि यदि वे पदोन्नति पर जाने से इंकार करते हैं तो उन्हें उसी हैसियत से अन्य जिला स्थापना पर स्थानांतरित कर दिया जावेगा, क्योंकि लेखापालों द्वारा पदोन्नति पर न जाने से संबंधित स्थापनाओं के कनिष्ठ कर्मचारियों के पदोन्नति के अवसर बाधित होते हैं।**

इसके अतिरिक्त पदोन्नति उपरांत श्री दीपक माहौर की वरिष्ठता न्यायालय उपाधीक्षक की वरीयता सूची में श्री भोजराज दुबे, न्यायालय उपाधीक्षक, बालाघाट के नाम के नीचे तथा श्री वेद प्रकाश त्रिपाठी, न्यायालय उपाधीक्षक, सिंगरौली के नाम के उपर निर्धारित की जाती है।

(ख) श्री हनीफ अहमद हाशमी, लेखापाल, कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छतरपुर को वेतनमान रूपये **5200–20200+ग्रेड पे रूपये 2800 (छठवां वेतनमान अनुसार)** में अस्थाई एवं स्थानापन्न रूप से दिनॉंक 16.11.2017 से न्यायालय उपाधीक्षक के पद पर पदोन्नत करते हुए, उन्हें न्यायिक जिला स्थापना, सागर में नवसृजित पद के विरूद्ध पदस्थ किया जाता है। **साथ ही यह शर्त अधिरोपित की जाती है कि यदि वे पदोन्नति पर जाने से इंकार करते हैं तो उन्हें उसी हैसियत से अन्य जिला स्थापना पर स्थानांतरित कर दिया जावेगा, क्योंकि लेखापालों द्वारा पदोन्नति पर न जाने से संबंधित स्थापनाओं के कनिष्ठ कर्मचारियों के पदोन्नति के अवसर बाधित होते हैं।**

इसके अतिरिक्त पदोन्नति उपरांत श्री हनीफ अहमद हाशमी की वरिष्ठता न्यायालय उपाधीक्षक की वरीयता सूची में श्री रामकुमार अहिरवार, न्यायालय उपाधीक्षक, ग्वालियर के नाम के नीचे तथा श्री अमित सिंगौर, न्यायालय उपाधीक्षक, जबलपुर के नाम के उपर निर्धारित की जाती है।

(ग) श्री दीपक माहौर एवं श्री हनीफ अहमद हाशमी की पदोन्नति उपरांत उनका वेतन निर्धारण, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ.ए.–1–2–73–1/IV, दिनॉक 26.04.1974 में दिये गये दिशा निर्देशों के अनुसार किया जावेगा।

टीपः– रजिस्ट्री पृष्ठांकन क्रमांक Reg(IT)(SA)/2018/368, दिनाँक 01.03.2018 के द्वारा स्थानांतरण एवं पदस्थापना संबंधी आदेशों की प्रिंटिंग, फोटोकापी एवं सायक्लोस्टाइल किया जाना बंद कर दिया गया है। अतः उक्त आदेश के तारतम्य में समस्त संबंधितों को सूचित किया जाता है कि वे आदेश की प्रति डाउनलोड करें व तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही कर, पालन सुनिश्चित करें।

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय
के आदेशानुसार

सही/–
{मो0 फहीम अनवर}
रजिस्ट्रार जनरल

पृ0क्रं0 बी/2473 / जबलपुर, दिनाँक **03 मई**, 2018
(तीन–18–1/2018)

प्रतिलिपि :–

1. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, डिण्डौरी/ छतरपुर/ सागर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

2. प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, भिण्ड की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

    कृपया, संबंधित कर्मचारियों को उनकी पदस्थापना से इस प्रकार कार्यमुक्त कर, निर्देश देवें कि उनके द्वारा नई पदस्थापना पर **दिनाँक 14.05.2018 (चौदह मई सन् दो हजार अठारह)** तक कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित किया जा सके। यह भी अनुरोध है कि कृपया संबंधित कर्मचारियों को भारमुक्त करने एवं कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से रजिस्ट्री को यथाशीघ्र अवगत करावें।

3. रजिस्ट्रार (डी0ई0) के निज सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,

4. रजिस्ट्रार (आई0टी0), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर आदेश की प्रतिलिपि म0 प्र0 उच्च न्यायालय, जबलपुर की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु अग्रेषित,

5. अनुभाग अधिकारी, जिला स्थापना शाखा, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर सूचनार्थ अग्रेषित,

6. श्री दीपक माहौर, लेखापाल, कार्या0 प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, भिण्ड,
7. श्री हनीफ अहमद हाशमी, लेखापाल, कार्या0 जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छतरपुर,

को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ अग्रेषित कर, निर्देशित किया जाता है कि पदोन्नत कर्मचारी अपनी वर्तमान पदस्थापना के स्थान पर, इस प्रकार कार्यभार सौंपे कि पदस्थापना के नये स्थान पर **दिनाँक 14.05.2018 (चौदह मई सन् दो हजार अठारह)** तक अनिवार्य रूप से कार्यभार ग्रहण करें।

03.05.18
{सनत कुमार कश्यप}
रजिस्ट्रार (डी0ई0)